



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 477 / 2010..... जिला : जयपुर.....

मैसर्स यश एण्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,जोन-तृतीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की त में जारी ।
17.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष</u> <u>श्री सुनील शर्मा,सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी/वकील प्रार्थी श्री अशोक हंसारिया एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>श्री अशोक हंसारिया ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम,वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ के क्रम में प्रस्तुत अपील विद्झा करना चाहते हैं। इस बाबत श्री अशोक हंसारिया ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है,जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विभाग ने भी शास्ति के विरुद्ध पेश की गई अपील को विद्झा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो इसी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का, अपीलार्थी द्वारा अपील विद्झा करने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः श्री अशोक हंसारिया का अपील को विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिए विद्झाल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (सुनील शर्मा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;"> (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष</p>	